न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 30/2016 बउनवानी प्रकाश पुत्र श्रीया गुर्जर **बनाम** तहसीलदार खण्डार
निवासी पीलेण्डी तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर
उप0–1. श्री हरिओम गोत्तम, वकील अपीलान्ट 2. श्री छोटू सिंह गुर्जर पैरोकार राजस्व

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज	न.ता. अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुआ
22.5.2017	प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार,2017 के तहत सुलह समझोते की भावना से निस्तारण किये जाने चिहिन्त होने के कारण यह प्रकरण आज न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। अपीलान्ट स्वंय,वकील अपीलान्ट, पैरोकार राजस्व एवं राजस्व लोक अदालत अभियान,2017 के सदस्यगण उपस्थित है। सुलह समझौते के तहत दौराने सुनवायी वकील अपीलान्ट ने कथन किया है कि अदालत मातहत द्वारा **मिसल संख्या 48/2011 में ग्राम पीलेण्डी की आराजी ख0न0 348 रकबा 1 बीघा किस्म चरागाह की भूमि में सम्वत् 2067 में सरसों की फसल काश्त करना** अंकित करते हुये अतिकमणी माना है एवं **दिनांक 24.2.2011** को आदेश जैर अपील पारित कर 30 दिवस की सिविल कारावास से सजा से दण्डित किया है। किन्तु अपीलान्ट द्वारा विवादित अतिकमित भूमि पर से अपना अतिकमण हटा लेने एवं भविष्य में पुनः अतिकमण नही करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर आदेश जैर अपील के तहत अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास की सजा को माफ करने बाबत भी निवेदन किया है, इस सम्बन्ध में पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया है कि यद्यपि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर से अतिकमण हटा लेने व पुनः अतिकमण नही करने के आशय की अन्डर टेकिंग प्रस्तुत कर दी है, किन्तु सिविल कारावास की सजा माफ करने से पूर्व कब्जा हटा लेने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र का तहसीलदार से भौतिक सत्यापन करवाया जाकर रिपोर्ट लिया जाना आवश्यक है। तथा कब्जा हटा लेने की पुष्टि हो जाने पर ही सिविल कारावास की सजा को माफ किये जाने के सम्बन्ध में अपनी और से अनापत्ती प्रस्तुत की गयी। पैरोकार राजस्व के कथनानुसार संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी तथा मौका रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान उक्त विवादित ख0न0 पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त नही है। अर्थात अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर से अपना कब्जा हटा लेने बाबत किये कथन की पुष्टि बखूबी हो जाती है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट सजा की सीमा तक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील सजा की सीमा तक खारिज किया जाता है। पत्रावली आज दिनांक 22.5.2017 को फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, सदस्य राजस्व लोक अदालत श्री हनुमान प्रसाद जैन, सदस्य राजस्व लोक अदालत (के.सी.वर्मा), जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर	